कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गढी जिला बॉसवाडा

दिनांकः 13.6.2024

क्रमांकः एफ ( )राज./2024/56

आदेश

तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण संख्याः राज./2024/655 एंव 656 दिनांक 30.5.2024 के अनुसार पटवार हल्का चौपासाग के मोजा चौपासांग के राजकीय कार्यालय भवन के लिए आरक्षित खाता संख्या 633 (नई) 573 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3256/4022 रकबा 0.80 हे0 किस्म–गै.मु. भूमि में से रकबा 0.18 हे0 भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज़, चिकित्सालय, धर्मषाला एवं अन्य सार्वजनिक निर्माणों के लिये भूमि आवंटन) नियम 1963 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.1995 एवं दिनांक 13.02.2001 के तहत् निम्न शर्तों पर जे.एम./ग्राम न्यायालय एंव अन्य नव सृजित न्यायालय गढ़ी के अभियोजन कार्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन किया जाता हैः–

(1) उक्त आवंटन 99 वर्ष की कालावधी के लिये पट्टाधृति आधार पर किया जाता है।

(2) उक्त भूमि का उपयोग सर्वथा उस प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये आवंटन किया गया है, और उस भवन का सनिर्माण जिसके लिये भूमि का आवंटन किया गया है, कब्जा सोपने के 6 माह के भीतर प्रारम्भ कर दिया जावेगा। आवंटिती भूमि का कब्जा सोपे जाने के 2 वर्ष के भीतर भवन का सनिर्माण पूर्ण करने के लिये और इसे उस प्रयोजन के लिये उपयोग में लेने के लिये उत्तरदायी होगा, जिसके लिये उक्त भूमि का आवंटन किया गया है।

(3) उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।

(4) उक्त आवंटित भूमि ओर उस पर सनिर्माण भवन किसी भी रूप से विक्रय पट्टे पर दिया जाना या अन्तरण आवंटन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जावेगा।

(5) आवंटी उपर वर्णित शर्तों में से प्रत्येक का पालन करने के लिये वचनबद्व होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में भूमि पर निर्मित भवन सहित राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ओर इसके विषय में मुआवजा का कोई हक नहीं होगा।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

(1) श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, गढ़ी को दो प्रतियो में भेज कर लेंख हैं कि उक्त आवंटित भूमि की निशानदेही कर सम्बन्धित विभाग को कब्जा सुपुर्द कराते हुऐ राजस्व अभिलेख में अमल–दरामद करावें।

(3) सहायक अभियोजन अधिकारी, सी.जे.एण्ड जे.एम. न्यायालय गढ़ी।

(4) पटवारी हल्का चौपासाग।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी